कार्यालय जिला दण्डाधिकारी जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

6808 / एस.डब्ल्यू. / 2020 — राजगढ़, दिनांक 26 / 06 / 2021

– संशोधित आदेश –

गृह विभाग म.प्र.शासन भोपाल के पत्र क. 35–09 / 2020 / दो / सी–2 दिनांक 15.06.2021 एवं गृह विभाग म.प्र.शासन भोपाल के पत्र क. 35–09 / 2020 / दो / सी–2 दिनांक 26.06.2021 में प्रदत्त निर्देशों एवं जिले में कोविड–19 की दर में कमी को दृष्टिग्त रखते हुये जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत पारित कार्यालयीन आदेश क.6421 / एस.डब्ल्यू. / 2020 राजगढ दिनांक 16.06.2021 में निम्नानुसार संशोधित आदेश पारित करता हूँः–

1. जिले में समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को अधिरोपित जनता कफ्र्यू (शनिवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 06:00 बजे) तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

2. जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में कोविड–19 की रोकथाम के प्रोटोकाल का पालन करते हुये रविवार को समस्त अनुमत्य गतिविधिया जैसे समस्त दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टोरेंट आदि अपने पूर्व नियत समय तक खुले रहेंगे।

3. जिले के समस्त नगरीय क्षैत्रों में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक नाईट कफ्र्यू पूर्ववत रहेगा।

4. शेष संपूर्ण आदेश यथावत रहेगा।

यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा, आईपीसी की धारा 188 एवं अन्य उपर्युक्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माने सहित दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी। उक्त आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, समस्त थाना प्रभारी जिला राजगढ को अधिकृत किया जाता है। यह आदेश जारी दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा।

यह आदेश आज दिनांक 26.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज कुमार सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. पुलिस महानिरीक्षक भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला राजगढ की ओर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक जिला राजगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। संबधित थाना प्रभारियों को आपके स्तर से भी कडाई से पालन करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त ....जिला राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी समस्त .... जिला राजगढ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. मुख्य नगर पालिका अधिकारी .... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग राजगढ़ की ओर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.